श्रीधर सी0, भा.प्र.से., जिला पदाधिकारी, प0 चम्पारण बेतिया द्वारा दिनांक 14.05.2012_को जिला परिवहन कार्यालय का निरीक्षण टिप्पणी :–

1.0 परिचयः–

जिला परिवहन कार्यालय, बेतिया, जो पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी जिला से 1975 ई0 (जिला विभाजन) के प चात् कार्यरत है एवं वर्श 1992 से अनुमंडल परिसर के भूमि सुधार कार्यालय भवन में चल रहा है।

2.0 कार्यालय भवन :–

वर्तमान में जिला परिवहन पदाधिकारी कार्यालय अनुमण्डल परिसर में अवस्थित पुराने भवन में चल रहा है। भवन जर्जर है। मरमम्ति की आव यकता है। जिला परिवहन कार्यालय का वर्तमान में अपना भवन नहीं है। सरकार द्वारा जिला परिवहन कार्यालय हेतु परिवहन भवन स्वीकृत किया जा चुका है। कार्यालय का निर्माण कार्य बियाडा, पटना द्वारा समाहरणालय के उत्तर में प्रारंभ कर दिया गया है। नया परिवहन कार्यालय भवन निर्माण ठीक गति से संचालित हो रहा है। नये भवन को 4 माह के अन्दर पूर्ण कराना सुनि चत करें। नया परिवहन भवन समाहरणालय के मुख्य भवन के पीछे बन रहा है। उक्त भवन के पहुंचने के लिए समाहरणालय से बायें ओर से अंदर जाने के रास्ता में पूर्व से निर्मित नाला है। अतः परिवहन भवन को पहुंचने के रास्ता में उक्त नाला को कभर करने की आव यकता है। इस संबंध में स्थल जांच कर अग्रेत्तर कार्रवाई कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमण्डल, बेतिया सुनि चत करें तथा नाला को कभर करने के लिए प्राक्कलन तैयार कर कार्रवाई सुनि चत करें।

(अनुपालन–कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रम. बेतिया)

3.0 प्रभार :–

वर्तमान में **श्री विजय कुमार प्रभात, जिला परिवहन पदाधिकारी** बेतिया दिनांक **17.07. 2009** से जिला परिवहन पदाधिकारी के प्रभार में हैं।

क0 सं0	पदाधिकारी के नाम	पदनाम	प्रभार अवधि	
			कब से	कब तक
1.	श्री विजय कुमार प्रभात	जिला परिवहन पदाधिकारी	17.07.2009	अबतक

4.0 स्थापना :–

इस प्रखण्ड में पदाधिकारी /पर्यवेक्षकों सहित कर्मचारियों की पदबल एवं कार्यरत की स्थिति निम्नवत् है :–

क0 सं0	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
(क)	जिला परिवहन पदाधिकारी	01	01	00
(ख)	लिपिक	03	02	01
(ग)	कार्यालय परिचारी	02	01	01
(घ)	मोटर यान निरीक्षक	01	01	00
(ड़)	प्रर्वतन पदाधिकारी/निरीक्षण	00	00	00

(च)	अवर निरीक्षक			
	वाहन / चालक	00	00	00

पदस्थापित कर्मियों की विवरणी :–

क0 सं0	पदनाम	स्वीकृत पद	पदनाम	रिक्त पद
1	अजय कुमार सिंह	19.01.2011	लिपिक	
2	सरफराज अहमद	15.07.11	लिपिक	
3	राके ा कुमार	15.07.11	मोटर यान निरीक्षक	
4	जयकि ुन कुमार	03.10.09	कार्यालय परिचारी	

5.0सेवा इतिहास पंजी :–

कार्यालय में कर्मियों के बायो–डाटा (सेवा इतिहास) विहित प्रपत्र में संधारित करें, स्थापना भााखा से विहित प्रपत्र प्राप्त कर सभी कर्मियों की विवरणी संधारित करना सुनि चत करें।

6.0सेवापुस्त :–

जिला परिवहन कार्यालय में तीन कर्मी पदस्थापित है, जिसमें दो लिपिक एवं एक कार्यालय परिचारी की सेवा पुस्त उपलब्ध है। श्री अजय कुमार सिंह, लिपिक के सेवा पुस्त का अवलोकन किया गया। दिनांक 18.01.11 तक वेतन भुगतान पंजी के आधार पर सेवापुस्त का सत्यापन किया गया है। वेतन भुगतान पंजी के आधार पर वर्श में दो वार सेवापुस्त का सत्यापन करने का प्रावधान है। निरीक्षण के समय सेवा का अद्यतन सत्यापन अंकित नहीं है। अवका ा कॉलम में भी कोई प्रविश्टि अंकित नहीं है। श्री जयकि ुन कुमार, लिपिक का सेवा पुस्त का अवलोकन किया। दिनांक 31.03.10 तक वेतन भुगतान पंजी के आधार पर सेवा पुस्त का सत्यापन किया गया है। एक वर्श से अधिक समय से सेवा पुस्त का सत्यापन नहीं किया गया है। निदे ा दिया गया कि पांच दिनों में वेतन भुगतान पंजी के आधार पर सेवा पुस्त का अद्यतन सत्यापन करें तथा एक संचिका के माध्यम से अनुपालन सुनि चत करें।

7.0पंजी :–

कार्यालय में उपस्थिति पंजी, अवका ा पंजी, रोकड़ पंजी (30.04.2012 तक), विपत्र पंजी, (30.04.2012 तक), आगत पंजी (84), निर्गत पंजी (323 / 09.05.11 तक) रक्षी संचिका, निबंधन पंजी, नवीकरण पंजी, करारोपण पंजी संधारित है

8.0 संचिकाओं का रख–रखाव की व्यवस्था :–

कार्यालय में संचिकाओं के बंडल अस्त–व्यस्त स्थिति में रखा हुआ है। संचिका के रख–रखाव के लिए स्टील आलमीरा की आव यकता है। राज्य परिवहन आयुक्त से आकस्मिता मद में आवंटन की मांग की जाए।

9.0 लोक सेवा का अधिकार :–

R.T.P.S अन्तर्गत जिला परिवहन कार्यालय के माध्यम से वाहन रजिस्ट्रे ान एवं ड्राईविंग लाईसेन्स की कार्रवाई की जाती है। निरीक्षण के तिथि को कुल 1126 आवेदन लाईसन्स एवं रजिस्ट्रे ान के प्राप्त हुआ है, जो निश्पादन हेतु समय सीमा के अन्तर्गत है। वाहन रजिस्ट्रे ान के लिए 30 दिन का समय सीमा निर्धारित है। सामान्यतः 30 दिन के समय सीमा के अंदर रजिस्ट्रे ान कर लिया जाता है।

परिवहन कार्यालय में 13 कम्प्यूटर सेट एवं 13 कम्प्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध है। इनके द्वारा दो Software का प्रयोग कर निबंधन संबंधी कार्य किया जाता है। Biometric system तथा digital photo grafting कार्यरत पाया। काउन्टर कम्प्यूटर में साफ्टवेयर ि ावम् के द्वारा उपलब्ध कराया गया है तथा डाटा सर्वर से संधारित होता है। निरीक्षण की तिथि को सभी कम्प्यूटर कार्यरत पाया गया। वाह्य संसाधन एजेन्सी द्वारा जेनरेटर की व्यवस्था की गयी है।

10.0 संवाहक अनुज्ञप्ति (Conductor License) :–

जिला के अंतर्गत संवाहक अनुज्ञप्ति पंजी का अवलोकन किया। संवाहक अनुज्ञप्ति की चार लाईसेन्स निर्गत है। वर्श 2006 के अनुज्ञप्ति संख्या 4/2006 के बाद नया संवाहक अनुज्ञप्ति के लिए निर्गत नहीं है। संवाहक अनुज्ञप्ति मोटर वाहन अधिनियम–1988 की धारा–30 के अंतर्गत निर्गत किया जाता है। उपरोक्त से स्पश्ट है कि वर्श 2006 के बाद कोई नया लाईसेन्स निर्गत नहीं किया गया है।

10.1 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार एवं राज्य परिवहन विभाग द्वारा जिला में विभिन्न मार्गो से अलग–अलग मार्गो पर स्टेट परमिट निर्गत वाहन में अनिवार्य रूप से लाईसेन्सी कन्डक्टर को रखना है। साथ हीं जिला अंतर्गत कतिपय प्राईमरी विद्यालयों के स्कूल बसों में Right to Education के अंतर्गत बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा सभी विद्यालयों के संचालित स्कूल बसों में लाईसेन्सी संवाहक को प्रतिनियुक्त करने का निदे ा दिया जाता है।

10.2 जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्दे ा दिया गया कि जिला ि ाक्षा पदाधिकारी कार्यालय से जिले में चल रही प्राईवेट स्कूलों की सूची प्राप्त करेंगे। जिला परिवहन कार्यालय में स्कूल बस निबंधन संबंधी विवरणी सत्यापित कर नोटिस निर्गत कर संवाहक अनुज्ञप्ति निर्गत करेंगे।

11.0 करारोपण (Taxation) **पंजी** :–

करारोपण पंजी वाहन निबंधन के क्रमानुसार संधारण है। निबंधन पंजी के अवलोकन से स्पश्ट है कि टैक्स चालान प्रत्येक तीन माह पर या वार्शिक निर्गत किया जाता है। वार्शिक एक मुस्त अग्रिम के रूप में टैक्स जमा करने पर 10 प्रति ात Taxation छूट करने का प्रावधान है।

11.1 एक मुत जमा संबंधी प्रचार–प्रसार :–

फ्लेक्सी बोर्ड बनाकर एकमुस्त कर (Tax) वार्शिक जमा कराने हेतु प्रचार–प्रसार किया जाए। तीनों अनुमण्डल पदाधिकारी विभिन्न प्रकार के करों (Taxes) की दर एवं प्रावधान से संबंधित अनुमण्डल मुख्यालय एवं समाहरणालय परिसर में फ्लेक्सी बोर्ड बनाकर प्रदर्ि ात कर प्रचार–प्रसार का निदे ा दिया गया।

11.2 करारोपण पंजी के पृश्ट संख्या 123 पर श्री विनायक कुमार सिंह, वाहन संख्या– 220 के Tax (कर) का अवलोकन किया। दिनांक 26.02.11 तक 17.10.12 तक का टैक्स का जमा किया गया। स्पश्ट है कि विगत टैक्स जमा से संबंधित चेक जमा की प्रति लेखा रूप में अभिलेख पावती रसीद एवं फार्म संलग्न कर जमा किया गया है तथा इस संबंध में प्रुफ की सत्यापन के प ्चात् टैक्स को जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा सत्यापित किया गया है।

12.0 अनापत्ति प्रमाण पत्र :–

बाहय अन्य राज्य से निबंधित वाहन, जिसको इस कार्यालय में दर्ज मामलें में वाहन निबंधित कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (N.O.C) प्राप्त कर टैक्स/यहां का पता जमा कराया जाता है। वर्श 2011 के पंजी में संलग्न 425 प्रविश्टि है। कतिपय प्रविश्टि पर फोटो चिपका पाया तथा कुछ में फोटो संलग्न नहीं है। वर्तमान में वित्तीय वर्श में 250 प्रविश्टि है। जिसमें 2012 का प्रविश्टि प्रारंभ किया गया। निरीक्षण की तिथि को 36/12 सत्यापन पाया। नया 37738 प्रविश्टि दर्ज पाया। फोटो हस्तांतरण हेतु प्रविश्टि अंकित करने के लिए लंबित है।

राजस्व अंतर्गत आंतरिक संसाधन की बैठक में स्पश्ट हुआ कि राज्य परिवहन प्राधिकार के द्वारा निर्गत किए जाने वाले परमिट की विवरणी प्राप्त नहीं हो रही है। अधोहस्ताक्षरी के स्तर से सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को विगत एक साल में निर्गत वाहनों के परिमिट एवं मार्गो की विवरणी प्राप्त करें।

13.0 निबंधन पंजी :–

मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत निबंधन पंजी मुद्रित पाया। मोटर वाहन अधिनियम के नियम–49 फार्म –29 के अंतर्गत सभी लाईसेन्स पंजी में फोटो सहित हस्ताक्षर/अंगूठा

नि ाान से प्रविश्टि किया जाता है। कुछ मामलें में फोटो अप्राप्त है, जिसे प्राप्त कर संधारित करनें का निदे ा दिया गया।

13.1 पिछले तीन वर्शो का निबंधित वाहनों की संख्या निम्नवत् है, जिसे वाहन कैटोगरि वाईज एवं वर्शवार तैयार कर उपलब्ध कराने का निदे ा दिया गया। :–

(ख)	**निबंधन**	**निबंधित वाहनों की संख्या**
	2009–10	**10378**
	2010–11	**16482**
	2011–12	**19426**
	2012–13	**1745 (Upto 30.04.12)**

जिला परिवहन कार्यालय में Vehicle category wise एवं वर्शवार निम्नलिखित वाहन निबंधित है।

13.2 Registered Vehicle in last three years. Category

Sl..	Month/ year	Articulated	L.C.V. Four whealar	L.C.V. Three whealar	Buses	Mini Buses	Taxi	A/R	Moped	Scooter /Motor	Car	Jeep	Tractor	Trailor	Other	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2009-10	-	33	10	01	12	44	61	-	13188	28	270	633	698	-	14978
2	2010-11	-	06	13	-	15	14	109	-	17156	43	233	1207	1311	58	20165
3	2011-12	-	28	37	05	12	142	378	-	16303	32	302	1221	966	66	19492
4	2012-13 Upto April-12	-	04	-	-	01	28	38	01	1420	04	35	149	57	08	1745

13.3 जिला में जितने निबंधित वाहन है, उन वाहनों के संबंध में निम्नांकित चार विन्दुओं पर प्रतिवेदन तैयार कराकर उपस्थापित किया जाए। (1). कितने वाहनों का लाईसेन्स ट्रान्सफर हुआ है (2). कितने वाहनों का अंतिम रूप से अग्रिम टैक्स भुगतान किया गया (3). निबंधित वाहनें को किस–किस मार्ग/रोड के लिए परमिट है (4) निबंधित वाहन के प्रकार एवं क्षमता क्या है? वाहन की भौतिक सत्यापन एम.भी.आई (M.V.I) तथा जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा सत्यापन हेतु प्रखण्डवार रोस्टर निकाला जाएगा। फिल्ड निरीक्षण प्रत्येक तीन माह पर करने की व्यवस्था सुनिि चत करें।

13.4 आंतरिक संसाधन की समीक्षा की बैठक में स्पश्ट हुआ कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के द्वारा निर्गत किए जाने वाले परमिट संबंधी सूचनाऐं प्राप्त नहीं हो रहा है। अधोहस्ताक्षरी के स्तर से सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को विगत दो साल में निर्गत परिवहन परमिट एवं रूट की विवरणी उपलब्ध कराने हेतु लिखा जाए तथा प्राप्त विवरणी का सत्यापन करायें।

13.5 ि□ाि□ाक्षु अनुज्ञप्ति विवरणी वर्शवार निम्नवत है :—

क्रमांक	ि□ाि□ाक्षु अनुज्ञप्ति वर्श	संख्या
1	2009—10	10378
2	2010—11	16482
3	2011—12	15871
4	2012—13	1119 (Upto 30.04.12)

13.6 चालक अनुज्ञप्ति विवरणी वर्शवार निम्नवत है :—

क्रमांक	चालक अनुज्ञप्ति वर्श	कुल निर्गत अनुज्ञप्ति की संख्या
1	2009—10	4978
2	2010—11	9558
3	2011—12	12743
4	2012—13	1257 (Upto 30.04.12)

14.0 पिछले तीन वर्शो का राजस्व लक्ष्य एवं संग्रहण :—

कमांक	वर्श	लक्ष्य	संग्रहण	प्रति□ात
1	2009—10	588	554,00,652=00	94.21%
2	2010—11	742	762,76,377=00	102.47%
3	2011—12	923	10,10,46,201=00	109.47%
4	2012—13	....	78,06,569=00	....
	(Upto 30.04.12)			

निदे ा दिया गया कि इस वर्श जिला परिवहन पदाधिकारी लक्ष्य के अनुरूप भात प्रति ात राजस्व की वसूली सुनि चत करें।

15.0 निलाम पत्र वाद :–

01.04.12 को लम्बितवाद	राि	वर्श में दायर वाद	राि	निलाम वाद	राि	लम्बित संख्या	राि
631	292,14,704=00	.	.	3	135972	628	290,79,332=00
						(Upto 30.04.12)	

15.1 विभागीय निदे ाानुसार 50000=00 (पचास हजार) रू0 से अधिक रा ा का निलाम पत्रवाद जिला निलाम कार्यालय से क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार–सह–सचिव, मुजफ्फरपुर को हस्तांतरित कर दिया गया है। निदे ा दिया गया कि निलाम पत्र वाद मामले के वाहनों की विस्तृत विवरणी उपस्थापित करें। निलाम पत्र वाद के 628 मामलें लंबित है। निरीक्षण के क्रम में यह स्पश्ट नहीं है कि 628 निलाम पत्र वाद के मामलें में कितने मामलें सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के स्तर पर लंबित है। सभी मामलें का सत्यापन कर 15 दिनों के अंदर स्पश्ट प्रतिवेदन दें। दिनांक 09.05.2012 तक पंजी 09 एवं 10 जिला निलाम पत्र कार्यालय से मिलान किया जा चुका है।

15.2 कार्यालय पंजी–9 के अवलोकन से स्पश्ट है कि जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा सत्यापन किया गया। पंजी–9 में अंतिम वाद पिछले वित्तीय वर्श 2011 में अंकित किया गया है। निदे ा है कि 20 बड़े–बड़े बकायादारों की सूची तैयार कर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/जिला निलाम पत्र पदाधिकारी को सूची देते हुए प्राथमिकता के आधार पर वसूली की कार्रवाई की जाए।

16.0 अंकेक्षण प्रतिवेदन :–

वर्श 2010–11 का अंकेक्षण आपत्ति अनुपालित कर प्रतिवेदन महालेखाकार बिहार, पटना एवं राज्य परिवहन आयुक्त बिहार, पटना को कार्यालय पत्रांक 208 दिनांक 19.03.2012 द्वारा प्रेशित किया जा चुका है।

17.0उच्च न्यायालय से संबंधित लम्बित मामलें :–

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बैरिया द्वारा वाहन जीप संख्या बी.एच.ई. 7524 का बकाया कर मो0 50673=00 (पचास हजार छः सौ तिहत्तर) रूपये नहीं चुकाये जाने के कारण वाहन नामांतरण का मामला लंबित है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से पत्राचार करने के प चात भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक पक्ष के अंदर रा ा प्राप्त कर मामले का निस्तार सुनि चत करने का निर्दे ा दिया गया।

18.0 कम्प्युटरीकरण :–

दिनांक 26.01.2010 से कम्प्युटर कार्यरत है, जिसमें सेवाओं का अधिकार, निबंधन, ि ाि ाक्षु अनुज्ञप्ति एवं चालक अनुज्ञप्ति का कार्य होता है। 14 डाटा इन्ट्री ऑपरेटर का पद स्वीकृत है, जिसमें 13 ऑपरेटर कार्यरत है एवं एक सहायक प्रोग्रामर की आव यकता है।

18.1 कम्प्युटरीकरण के भुगतान की स्थिति :–

(क) कार्यरत कर्मी के भुगतान की स्थिति माह–दिसम्बर, 2011 तक (माह–नवम्बर का छोड़कर) भुगतान कर दिया गया है। भोश आवंटन प्राप्ति के प चात् भुगतान कर दिया जायेगा।

(ख) सामग्री का भुगतान के प चात् भोश 271000/–रूपये का विपत्र भुगतान हेतु लम्बित है। आवंटन प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जायेगा।

जिला परिवहन पदाधिकारी लंबित दावा रा ि ा के भुगतान के लिए आवंटन की मांग हेतु समाहर्त्ता की ओर से पत्र प्रेशित करें

19.0 गृह रक्षक :–

कार्यालय कार्य हेतु भवदीय स्वीकृति के उपरान्त 1–4 गृह रक्षक कार्यालय को उपलब्ध है, जो आव यकतानुसार जिला परिवहन पदाधिकारी एवं मोटरयान निरीक्षक के नियंत्रण में सरकार के निदे ाानुसार कार्य करता है।

19.1 गृह रक्षक के भुगतान की स्थिति :–

माह–फरवरी, 2012 तक का भुगतान किया जा चुका है। आवंटन प्राप्त होते ही आगे के भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।

जिला परिवहन पदाधिकारी को गृह रक्षकों की आवंटन की मांग हेतु समाहर्त्ता की ओर से पत्र राज्य परिवहन आयुक्त को प्रेशित करने का निदे ा दिया गया।

20.0 **ठहराव स्थल :–**

बिहार मोटर वाहन अधिनियम–1992 के नियम–214 के अंतर्गत पब्लिक वाहनों के ठहराव हेतु स्थल चयन कर अधिसूचित करने के लिए जिला दण्डाधिकारी को भाक्ति प्रदत्त है। साथ हीं स्थानीय निकायें से पराम र्ा कर वाहन ठहराव हेतु चयनित स्थल पर किराया वसूली को निर्धारित करने की भाक्ति जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त है।

निदे ा है कि स्थानीय कार्यपालक पदाधिकारी एवं अध्यक्ष के साथ बैठक आयोजित कर बिहार मोटर वाहन अधिनियम–1992 के नियम–214 के आलोक में प्रदत्त भाक्ति के कार्यान्वयन कराना सुनि चत करायें।

21.0 **जिला परिवहन सुरक्षा समिति :–**

बिहार मोटर वाहन अधिनियम–1988 के धारा–215 के अंतर्गत जिला परिवहन सुरक्षा समिति के गठन राज्य सरकार के ओर से किया गया है। राज्य परिवहन आयुक्त के द्वारा जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित कर ट्रैफिक नियंत्रण एवं सड़क सुरक्षा की कार्रवाई सुनि चत करायेंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी जून महिने के प्रथम सप्ताह में उक्त बैठक आयोजित करायेंगे। सभी अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी को सड़क सुरक्षा एवं ट्रैफिक नियंत्रण का प्रस्ताव प्रेशित करने का निदे ा दिया गया।

21.1 ट्रैफिक नियंत्रण में अक्सर यह देखा जाता है कि जिला के विभिन्न राश्ट्रीय राज्यमार्गो एवं अन्य मुख्य पथों पर अव्यवस्थित ढंग से ट्रक, टैक्टर इत्यादि सड़क पर रखने के कारण आवागमन में कठिनाई उत्पन्न होती है। साथ हीं कतिपय खराब वाहन रोड के मध्य में छोड़ कर चले जाते हैं ऐसे मामलें में बिहार मोटर वाहन अधिनियम, 1992 के नियम 201 के अंतर्गत प्रत्येक घंटे 50 रूपये दण्ड वसूली करने का प्रावधान है। उक्त प्रावधान के आलोक में सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष को सूचित करते हुए प्रत्येक स्तर पर इसप्रकार के मामलें में दण्ड वसूलना सुनि चत करें।

22.0 राजस्व प्राप्ति के लिए निम्नांकित सामान्य निर्दे ा दिया जाता है :–

i सघन वाहन जांच की अभियान चलाकर समय समय पर वि ोश टीम गठित कर जांच के लिए दण्डाधिकारी प्रतिनियुक्ति कर प्रत्येक माह में दो दिन सघन जांच करायें

ii टैक्स डिफाल्टर की सूची तैयार कर वि ोश चेकिंग दल को उपलब्ध करायें।

iii नन कमर् ियल कृशि के लिए निबंधित गैर कृशि/कमर् ियल कार्य करने पर जुर्माना की वसूली हेतु कार्रवाई सुनि चत करें।

iV टैक्स डिफाल्टर की सूचीबद्ध कर जांच दल से करों की प्रभावी निश्पादन सुनि चत करें।

23.0 चालान पंजी :–

चालान की रैण्डम मिलान किया जाए। कार्यालय में विभिन्न प्रकार की प्राप्ति बैंक चालान के माध्यम से किया जाता है। जिला स्थापना उपसमाहर्त्ता दो दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर विगत वित्तीय वर्श के चालान की रैण्डम जांच बैंक से मिलान कर एक माह के अन्दर प्रतिवेदित करें। जिला परिवहन पदाधिकारी को निदे ा है कि कोशागार एवं बैंक से मिलान करने हेतु दो दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति के लिए पत्र भेज दिया जाए।

24.0 एस.बी.आई एक्सटें□ान काउन्टर :–

पूर्व की बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा नये परिवहन कार्यालय के निर्माण के प चात् उपयोग में सहुलियत के लिए भारतीस स्टेट बैंक के एक्टें ान काउन्टर स्थापित करने की बात कही गयी। इस निमित मुख्य प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक को समाहर्त्ता की ओर से पत्र प्रेशित किया जाए। श्री विनय कुमार ठाकुर, वरीय उपसमाहर्त्ता, बैंकिंग इस एस.बी.आई. की एक्सटें ान काउन्टर स्थापित कराने हेतु कार्रवाई सुनि चत करें।

निश्कर्श :–

परिवहन कार्यालय के नये भवन पूर्ण कर कार्यालय स्थानान्तरित करने की आव यकता है। अभिलेखों/पंजियों की रख–रखाव की व्यवस्था सुदृढ़ करना है। मोटर वाहन अधिनियम (M.V.Act) का कड़ाई से अनुपालन तथा राजस्व वृद्धि, वि ोश कर निलाम पत्र वादों की निश्पादन कराने की आव यकता है।

अतः उपरोक्त का गहन समीक्षा कर जिला परिवहन पदाधिकारी अनुपालन सुनि चत करेंगें।

(श्रीधर सी.)
जिला पदाधिकारी,
पि चम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक ..../ दिनांक....................../2012

प्रतिलिपि : जिला परिवहन पदाधिकारी, पि चम चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एवं आव यक कार्रवाई हेतु प्रेशित।

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, बेतिया/अपर समाहर्त्ता, बेतिया/अनुमण्डल पदाधिकारी, बेतिया/बगहा/नरकटियागंज/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बेतिया/बगहा/नरकटियागंज/रामनगर/जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, बेतिया/श्री विनय कुमार ठाकुर, प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास भााखा, बेतिया/ कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमण्डल, बेतिया/मोटरयान निरीक्षक, बेतिया एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आव यक कार्रवाई हेतु प्रेशित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, बेतिया/बगहा को सूचनार्थ एवं आव यक कार्रवाई हेतु प्रेशित।

प्रतिलिपि : सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आव यक कार्रवाई हेतु प्रेशित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आव यक कार्रवाई हेतु प्रेशित।

प्रतिलिपि : राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आव यक कार्रवाई हेतु प्रेशित।

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आव यक कार्रवाई हेतु प्रेशित।

(श्रीधर सी.)
जिला पदाधिकारी,
पि चम चम्पारण, बेतिया।